उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0, उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम, जो उत्तराखण्ड राज्य में विद्युत वितरण के कार्य के लिए उत्तरदायी है, में निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति के लिए अर्ह अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं

| पद कोड | पद | कैडर | कुल पद | वेतनमान |
|---|---|---|---|---|
| 901 | सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) | E&M | 68 | 8550–275–13500 |
| 902 | सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) | Civil | 08 | 8550–275–13500 |
| 903 | अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) | E&M | 79 | 5300–150–5600–175–9100 |
| 904 | अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) | Civil | 14 | 5300–150–5600–175–9100 |

उपरोक्त पदों की संख्या सामयिक है तथा ***घट/बढ़*** सकती है ।

**अनिवार्य योग्यताः**

**सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) हेतु अनिवार्य न्यूनतम् योग्यता**–हिन्दी देवनागरी लिपि के विस्तृत ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) E&M कैडर हेतु विद्युत, इलैक्ट्रॉनिक्स अथवा यान्त्रिक अभियान्त्रिकी में तथा सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) Civil कैडर हेतु सिविल अभियान्त्रिकी में डिग्री अथवा AMIE के सैक्शन–A&B उत्तीर्ण होना। **न्यूनतम् अंक**– सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों हेतु 65 प्रतिशत् अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अथवा समकक्ष ग्रेड तथा अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति के बाह्य एवं विभागीय अभ्यर्थियों (उपाकालि में कार्यरत) का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के विभागीय अभ्यर्थियों (उपाकालि में कार्यरत) का 50 प्रतिशत् अंकों अथवा समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

**आरक्षणः** उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार रिक्त पदों में निम्न रूप से आरक्षण उपलब्ध होगा। क्षैतिज आरक्षण संगत विद्यमान अद्यतन शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

| पद का नाम | कुल पद | सामान्य वर्ग | | अनु0 जाति | | अनु0जन जाति | | अ0पि0 वर्ग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्तमान | बैकलॉग | वर्तमान | बैकलॉग | वर्तमान | बैकलॉग | वर्तमान | बैकलॉग |
| सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु), E&M | 68 | 38 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु), Civil | 08 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु अनिवार्य न्यूनतम् योग्यता** : हिन्दी देवनागरी लिपि के विस्तृत ज्ञान के साथ सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को राज्य/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक/संस्थान से अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) E&M कैडर हेतु विद्युत, इलैक्ट्रॉनिक्स अथवा यान्त्रिक अभियान्त्रिकी में तथा अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) Civil कैडर हेतु सिविल अभियान्त्रिकी में **55** प्रतिशत अंकों के साथ तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति/ विभागीय (उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यरत) अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा अभियान्त्रिकी में उत्तीर्ण होना आवश्यक है । अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु सभी अभ्यर्थियों का उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय में वैध पंजीकरण होना आवश्यक है ।

**आरक्षणः** उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार रिक्त पदों में निम्न रूप से आरक्षण उपलब्ध होगा। क्षैतिज आरक्षण संगत विद्यमान अद्यतन शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगा।

| पद का नाम | कुल पद | सामान्य वर्ग | | अनु0 जाति | | अनु0जन जाति | | अ0पि0 वर्ग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | वर्तमान | बैकलॉग | वर्तमान | बैकलॉग | वर्तमान | बैकलॉग | वर्तमान | बैकलॉग |
| अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु), E&M | 79 | 30 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु), Civil | 14 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

**आयु सीमा :** सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु दिनांक **1.1.2009** को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य के अनु0जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy) एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को अधिकतम् आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों (केवल चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय अंगघात) को अधिकतम् आयु सीमा में नियमानुसार 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों, जिन्होंने सेना में न्यूनतम् 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, को नियमानुसार अधिकतम् आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। विभागीय (उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यरत) अभ्यर्थियों के लिए कोई अधिकतम् आयु सीमा नहीं होगी। अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद हेतु अप्रैन्टिसशिप अधिनियम 1961 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिसशिप प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में प्रशिक्षण अवधि (अधिकतम् 1वर्ष) के बराबर अवधि की छूट अनुमन्य होगी

**चयन प्रक्रिया :**

**सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पदों के लिएः** अभ्यर्थियों का चयन 88 प्रतिशत् अंकों की लिखित परीक्षा एवं 12 प्रतिशत् अंकों के साक्षात्कार के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची के अनुसार किया जायेगा । लिखित परीक्षा 3 घण्टे की अवधि की होगी जिसमें एक सही उत्तर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे । प्रश्नपत्र दो खण्डों में होगा । खण्ड–1 में विश्लेषणात्मक एवं मात्रात्मक कौशल की क्षमता एवं सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित 50 प्रश्न होंगे तथा खण्ड–2 में अभियान्त्रिकी की सम्बन्धित शाखाओं पर आधारित 126 प्रश्न होंगे। E&M कैडर हेतु लिखित परीक्षा के खण्ड–2 में विद्युत, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं यान्त्रिक अभियान्त्रिकी शाखाओं पर आधारित एक ही संयुक्त प्रश्नपत्र होगा। लिखित परीक्षा के उपरान्त वरीयताक्रम में संक्षिप्त सूचीबद्ध ***(Short listed)*** किये गये अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु व्यक्तिगत रूप से तिथि, स्थान एवं समय की सूचना दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद के लिए चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्त किये जायेंगे तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् ही उनका नियमानुसार निगम के सहायक अभियन्ता कैडर में चयन किया जायेगा ।

**अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पदों के लिएः** अभ्यर्थियों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर बनाई गई वरीयता सूची के अनुसार किया जायेगा । लिखित परीक्षा 3 घण्टे की अवधि की होगी जिसमें एक सही उत्तर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे । प्रश्नपत्र दो खण्डों में होगा । खण्ड–1 में विश्लेषणात्मक एवं मात्रात्मक कौशल की क्षमता एवं सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित 50 प्रश्न होंगे तथा खण्ड–2 में अभियान्त्रिकी की सम्बन्धित शाखाओं पर आधारित 125 प्रश्न होंगे। E&M कैडर हेतु लिखित परीक्षा के खण्ड–2 में विद्युत, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं यान्त्रिक अभियान्त्रिकी शाखाओं पर आधारित एक ही संयुक्त प्रश्नपत्र होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकों का प्रावधान होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान किया जायेगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक कुल प्राप्तांकों में से काट लिया जायेगा ।

अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद के लिए चयनित अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के लिए अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्त किये जायेंगे तथा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् ही उनका नियमानुसार निगम के अवर अभियन्ता कैडर में चयन किया जायेगा ।

सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर साक्षात्कार हेतु अर्ह होने के लिए साधारण/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के भाग–1 एवं भाग–2 में अलग–अलग न्यूनतम् 40 प्रतिशत् तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के भाग–1 एवं भाग–2 में अलग–अलग न्यूनतम् 30 प्रतिशत् अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । इसी प्रकार अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद पर चयन हेतु अर्ह होने के लिए साधारण/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के भाग–1 एवं भाग–2 में अलग–अलग न्यूनतम् 40 प्रतिशत् तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के भाग–1 एवं भाग–2 में अलग–अलग न्यूनतम् 30 प्रतिशत् अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

**लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित कराई जायेगी**

| परीक्षा केन्द्र | देहरादून | रूड़की | श्रीनगर | अल्मोड़ा | हल्द्वानी |
|---|---|---|---|---|---|
| कोड | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**आवेदन करने सम्बन्धी अन्य प्रावधान एवं निर्देश :**

1. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पदों के लिए उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिसशिप अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अप्रैन्टिसशिप प्राप्त मूल/स्थाई निवासी अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की छूट होगी।

2. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पदों के लिए अन्य बातों के समान रहते हुए अप्रैन्टिसशिप प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों को चयन में नियमानुसार वरीयता दी जायेगी ।

3. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पदों के लिए उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैन्टिसशिप अधिनियम 1961 के अन्तर्गत अप्रैन्टिसशिप प्राप्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयुसीमा में प्रशिक्षण अवधि के बराबर अवधि (अधिकतम् 1वर्ष) की छूट अनुमन्य होगी।

4. वांछित प्रमाण पत्रों के अभाव में अथवा किसी भी प्रकार से अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण/भ्रामक/बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

5. आवेदन पत्र को **A-4** आकार के कागज़ पर नीचे दिये गये निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप बनाकर/टाइप कराकर अंग्रेजी के साफ एवं बड़े (CAPITAL) अक्षरों में भरा जाना चाहिए ।

6. आवेदन प्रपत्र पर **35X45** मि0मी0 आकार का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम् फोटोग्राफ चिपकायें तथा उसी प्रकार के दो फोटोग्राफ भविष्य में प्रयोग हेतु सम्भाल कर रखें ।

7. लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेज़ी भाषा में (द्विभाषीय) उपलब्ध होंगे । किसी भी विरोधाभास में अंग्रेजी माध्यम मान्य होगा ।

8. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

- हाईस्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रतिलिपि ।
- स्नातक अभियान्त्रिकी/डिप्लोमा जो भी वांछित हो, उत्तीर्ण होने के अंकपत्र की सत्यापित छाया प्रतिलिपि।
- अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) पद उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय के वैध पंजीकरण की सत्यापित छाया प्रतिलिपि।
- उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई/मूल निवासी होने के प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रतिलिपि।
- उत्तराखण्ड राज्य की अनु0 जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy) तथा अन्य ***क्षैतिज*** श्रेणी में आरक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर उत्तराखण्ड राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रतिलिपि। (संलग्न निर्धारित प्रपत्र के अनुसार)
- उत्तराखण्ड के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अनु0 जाति/अनु0जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy) के अभ्यर्थी एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अपना आवेदन सामान्य श्रेणी हेतु ही प्रस्तुत करें तथा ऐसे अभ्यर्थियों पर नियमानुसार सामान्य श्रेणी हेतु निर्धारित प्रावधान लागू होंगे तथा वे रू0 400/– की धनराशि ड्राफ्ट के रूप में आवेदन के साथ संलग्न करें ।
- सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy) एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रु0 400/–तथा अनु0जाति/अनु0जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु0 200/– का ***Account Payee*** डिमाण्ड ड्राफ्ट (जो किसी भी दशा में वापस नहीं किये जाने वाली प्रौसेसिंग फीस है) **EE (HQ), UPCL** के पक्ष में, जो **देहरादून** की किसी शैडयुल्ड बैंक की शाखा पर देय हो । ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम एवं पद कोड अवश्य लिखें ।

9. सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवानियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

10. एक बार आवंटित परीक्षा केन्द्र के परिवर्तन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उपर्लिखित परीक्षा केन्द्रों को परिवर्तित या निरस्त करने का अधिकार उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 का होगा ।

**नोट :–** **उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के पास इस विज्ञप्ति एवं नियुक्ति प्रकिया को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।** लिखित परीक्षा हेतु अर्ह/पात्र अभ्यर्थियों की सूची, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा की तिथि वैब साइट **www.upcl.org** पर प्रदर्शित की जायेगी एवं इस सूची पर उपलब्ध सभी अर्ह/पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा निर्गत कर दिये जायेंगे । वैब साइट पर प्रदर्शित सूची के जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होते, ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घण्टा पूर्व सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र से अपना परिचय

पत्र दिखाकर **Duplicate** प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं । ऐसे अभ्यर्थी अपने साथ एक फोटोग्राफ (जैसा कि आवेदन पत्र पर चिपकाया गया हो) अवश्य लायें ।

आवेदक अपने आवेदन पत्र के लिफाफे पर **"Application for the post of Assistant Engineer (E&M or Civil )/Junior Engineer (E&M or Civil) Trainee in UPCL",** जो भी वांछित हो, अंकित कर, **साधारण डाक** द्वारा **दिनांक 26 मार्च, 2009** तक निम्नलिखित पते पर प्रेषित *करना सुनिश्चित करें* ।

**The Advertiser, Post Bag No.-007, Sriniwaspuri Post Office, New Delhi-110065**

# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड

*<u>आवेदन का प्रारूप</u>*

*(अंग्रेज़ी के बड़े* (**CAPITAL**) *अक्षरों में भरें)*

1.पद का नाम ........................................................................................पद कोड ............................................

35 x 45 मि0मी0 का स्वहस्ताक्षरित नवीनतम फोटो चिपकाएं

2.शाखा (Branch) ......................................................................................................................

3.अभ्यर्थी का नाम ........................................................................................................................

4.पत्र व्यवहार का पता ...................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

मोबाइल / दूरभाष सं0 एस.टी.डी. कोड सहित.................................................

5. स्थाई पता ...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

मोबाइल / दूरभाष सं0 एस.टी.डी. कोड सहित.....................................................

6.पिता / पति का नाम ......................................................................................................

7.जन्मतिथि ...............................................1.1.2009 को आयु ............................वर्ष ..................................माह.......................दिन

8.लिंग : (पुरूष / महिला) ...........................................................................................................................................

9.जाति : {सा0 / अनु0जा0 / अनु0जनजा0 / अ0पि0वर्ग (Non Creamy) } ..............................................................

10.श्रेणी : (महिला / भूतपूर्व सैनिक / स्व0संग्राम सैनानियों के आश्रित / विकलांग) ...................................................

11.क्या आप विभागीय अभ्यर्थी हैं (हॉ / नहीं) ..................................................................................................

12 क्या आप उत्तराखण्ड के मूल / स्थाई निवासी हैं : (हॉ / नहीं) .......................................................................

13 क्या आप स्वयं भूतपूर्व सैनिक रहे हैं (हॉ / नहीं) ........................................................................................

14.यदि हॉ तो थल / वायु / नौसेना.........................................................................................................................

15.सेवा निवृत्ति से पूर्व सेना में सेवा की अवधि (1.1.2009 तक)..........................................................................

16 परीक्षा केन्द्र : 1......................................कोड.............2...................................कोड.........3............................कोड............

17 ड्राफ्ट का विवरण : ड्राफ्ट सं0..................................................................धनराशि.................................................................

बैंक.......................................................................................................................दिनांक..................................................................

18 शैक्षिक योग्यता अर्हता हेतुः

| क्र0 सं0 | परीक्षा का नाम | उत्तीर्ण करने का वर्ष | बोर्ड/वि0वि0/ संस्था | प्राप्तांक | प्रतिशत अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

19. अनुभव : (यदि कोई हो)

| नियोक्ता (Employer) का नाम | अवधि | धारित पद |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

20 प्रशिक्षु अधिनियम के अधीन प्राप्त प्रशिक्षण का विवरणः

| कार्यालय का नाम एवं पता | कब से | | | कब तक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दिन | माह | वर्ष | दिन | माह | वर्ष |
| | | | | | | |

21 यदि आपने उक्त प्रशिक्षण उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0/उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अथवा पूर्ववर्ती उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत प्राप्त किया है तो उसका विवरणः

| उपकेन्द्र/उपगृह/कार्यालय | कब से | | | कब तक | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | दिन | माह | वर्ष | दिन | माह | वर्ष |
| | | | | | | |

22. उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय की पंजीकरण सं0................................ पंजीकरण तिथि .........................

पंजीकरण का कोड............................स्थान...................................... पंजीकरण किस तिथि तक वैध है.............................

**घोषणा** : मैं.............................निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर प्रस्तुत किये गये विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं, अन्यथा की दशा में मैं स्वयं उत्तरदायी हूंगा/हॅगी तथा मेरी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाये ।

दिनांक :

स्थान : **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

संलग्नकों की सूची :

## उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

## प्रमाण–पत्र का प्रारूप

## उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र

## (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .................................................................................. सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ................................................................................................निवासी ग्राम ..................................तहसील .......... ......................... नगर ........................................... जिला ............................................ उत्तराखण्ड की ................................................ ..............................जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ................................................................................................. तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ...................................... तहसील .............................................नगर ............................ जिला ......................... ............. में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :
मुहर :

हस्ताक्षर ..............................................
पूरा नाम ............................................
पदनाम ...............................................
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

## उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

## (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ............................................................................ सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .................................................................. निवासी ग्राम .................................................. तहसील ........ ........................... नगर ....................................... जिला ....................................... उत्तराखण्ड के राज्य की ................................ ...... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .................................................... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .................... ........तहसील .................................................. नगर ................................... जिला ..................................में सामान्यतया रहता है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ..............................................
पूरा नाम ............................................
पदनाम ...............................................
मुहर .....................................................
जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

**उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र**
**शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997**
**(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)**

## <u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................................................................सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..................................................................................... निवासी ग्राम ................................................तहसील ......................................... ...... नगर ............................................... जिला ............................................उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ............................................................. .................................... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ...................................
पूरा नाम...................................
पदनाम ....................................
मुहर .........................................

जिलाधिकारी ...........................
(सील) .......................................